

भाग -V

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18. राज्य सरकार की सिफारिशें। *Recommended for Approval*

(उपयुक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

23/17

सु हेस्ताक्षरचन्द्र
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
(वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980)
सोम और पदनाम
सरकारी मोहर

दिनांक : -
स्थान : -